जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-19.08.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 8 किलो 300 ग्राम डोडा बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 18.08.2025 की रात्रि में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर रवि पुत्र पप्पू निवासी कमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 8 किलो 300 ग्राम डोडा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 404/2025 धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त रवि उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

- रवि पुत्र पप्पू निवासी कमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 8 किलो 300 ग्राम डोडा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

- मु0अ0सं0 404/2025 धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- है0का0 राजेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।
- है0का0 अनुज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- का0 राजीव शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना कांधला पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 500 ग्राम चरस बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19.08.2025 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर मेहरान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामलीको अवैध 500 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर मु0अ0सं0 349/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त मेहरान उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.मेहरान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 500 ग्राम चरस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

- मु0अ0सं0 349/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।
- मु0अ0सं0 306/24 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।
- मु0अ0सं0 257/25 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
- का0 संजय चौधरी थाना कांधला जनपद शामली।
- का0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 18.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त आदिल पुत्र इकबाल निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आदिल पुत्र इकबाल निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-है0का0 दीपक यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-का0 प्रदीप कुमार थाना झिझाना जनपद शामली।

3.-का0 सनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनाँक 18.08.2025 को वादी अनुज कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के पुत्र वंश पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शालमी पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अक्षय पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मु0नगर।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध चाकू

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राजकमल सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.का0 जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.का0 मयन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2024 धारा 316(2),318(4),319(2) बी0एन0एस0, 66,66 डी आई0टी0 एक्ट मे वादी/पीडित की ठगी गयी रकम मे से संदिग्ध बैंक खातो मे क्रेडिट की गयी धनराशि को फ्रीज कराते हुए धनराशि वापस करायी गई।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार साइबर अपराध को रोकथाम हेतु चालाये जा रहे अभियान व नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक शामली के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन/साइबर अपराध के कुशल नेतृत्व में साइबर थाना शामली द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति के खातों की जानकारी कर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए संदिग्ध खातो मे क्रेड़िट हुई धनराशि को होल्ड/फ्रीज कराते हुए वादी के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के खाते मे 261198/- रूपये व एच0ड़ी0एफ0सी0 बैंक के खाते मे 355000/- रूपये (कुल 616,198/- रूपये) की धनराशि वापस करायी गयी। मुकदमा उपरोक्त के वादी द्वारा अपनी धनराशि वापस होने पर पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद पत्र दिया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सीमा शर्मा,साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।
2. निरी0 श्री प्रवीन कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।
3. क0ऑ0 विकास चौधरी साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली
4. का0 मुनेन्द्र कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।
5. म0 का0 तोषी ठाकुर साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 06 मामले में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 9100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

1.-वर्ष 2024 में अभियुक्त सारिक पुत्र फैय्याज निवासी मौ0 कुरैशियान थाना गंगौह जिला सहारनपुर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 324/2024 धारा-303(2),62 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2016 में अभियुक्त रोहन पुत्र नवीन जाट निवासी बाग्गू निरोजपुर बागपत के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 586/2016 धारा- 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।। अर्थदण्ड अदा न करने 01 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है

3.- वर्ष 2022 में अभियुक्त साहिद पुत्र हाजी असलम निवासी रामड़ा थाना कैराना शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 132/2022 धारा- 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएमशामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।। अर्थदण्ड अदा न करने 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

4.- वर्ष 2022 में अभियुक्त साहिद पुत्र हाजी असलम निवासी रामड़ा थाना कैराना शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 133/2022 धारा- 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएमशामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।। अर्थदण्ड अदा न करने 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

5.-वर्ष 2025 में अभियुक्त मनव्वर पुत्र नकीम निवासी गन्दराऊ थाना कैराना शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा- 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।। अर्थदण्ड अदा न करने 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

6.-वर्ष 2017 में अभियुक्त सन्दीप पुत्र दासी वाल्मिकी निवासी लिसाड़ थाना कोतवाली शामलीके विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 14/2017 धारा- 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।। अर्थदण्ड अदा न करने 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2014 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलवा में अभियुक्तगण अफसरून उर्फ सूरज पुत्र जमशैद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली अपने भाई नबाव, इन्सार, कादिर व इस्लाम के साथ एक राय होकर इसरान पुत्र हाजी शमीम निवासी ग्राम बलवा को गाली गलौच करते हुए गोली मार दी गई थी, जिसमें इसरान उपरोक्त की मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 247/14 धारा 147/148/149/302/504/506/307/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा इस दौरान अभियुक्त अफसरून की मृत्यु हो गई थी। इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे 07 मु0नगर द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण नबाव, इन्सार, कादिर व इस्लाम को को दोषी पाते हुए धारा 147/504/506 भादवि में 02-02 वर्ष का कारावास व धारा 148 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा

307/34 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है तथा अभियुक्त इन्सार पुत्र जमशैद को मु0अ0सं0 269 धारा 25 आर्म्स एक्ट में 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।